

# न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री समदर सिंह भाटी, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 10/2022

वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

|  |  |
|--|--|
| 1. चेनाराम पुत्र मगाराम<br>2. नारणाराम पुत्र मगाराम<br>3. पेमाराम पुत्र मगाराम<br>4. नोजी पत्नि मगाराम जाति जाट<br>निवासी सिणधरी उर्फ बेड़ तहसील<br>सिणधरी | 1. पुजाकंवर पत्नि पपूसिंह<br>2. फैंसाकंवर पत्नि गणपतसिंह जाति<br>राजपूत निवासी सिणधरी उर्फ बेड़<br>तहसील सिणधरी<br>3. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. सिणधरी<br>4. तहसीलदार सिणधरी |
|--|--|

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति—

1. श्री जोगराज पोटलिया, अधिवक्ता वादीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री भंवरलाल सारण, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1,2 की ओर से उपस्थित।
3. प्रतिवादीगण सं. 04 के पैरोकार उपस्थित शेष एकतरफा।

निर्णय

दिनांक— 06.11.2025

संक्षिप्त में वादपत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि मौजा— खीयोणी सारणों की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा खेत खसरा सं. 96/5 रकबा 4.9349 हैक्टर भूमि के संबंध में प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 12.06.2025 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार सिणधरी को मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था।


तहसीलदार सिणधरी द्वारा आदेश की पालना में न्यायालय द्वारा पारित माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार तहसील सिणधरी में अवस्थित भूमि के मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया। जिसे वादी अधिवक्ता की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार भी किया गया।

लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा— खीयोणी सारणों की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा खेत खसरा सं. 96/5 रकबा 4.9349 हैक्टर भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

*Handwritten signature*  
सहायक कलक्टर  
SDO सिणधरी


| क्र. सं. | नाम खातेदार   | ग्राम                      | खसरा नं. | रकबा हैक्टेयर | किस्म            | लगान | बरंग |
|----------|---|----------------------------|----------|---------------|------------------|------|------|
| 1.       | चैनाराम 5/18 नारणाराम<br>5/18 पेमाराम 5/18 पि.<br>मगाराम नोजी पत्नि मगाराम<br>1/6 जाति जाट सा. धने की<br>ढाणी खातेदार | खीयोणी<br>सारणो<br>की ढाणी | 95/5     | 0.1213        | गै.मु.<br>रास्ता | 0    | हरा  |
|          |   |                            | 96/9     | 2.4675        | बा.दो            | 0.30 |      |
|          |   | कुल                        | 2        | 2.5888        | बा.सो            | 0.30 |      |
| 2.       | पूजाकंवर पत्नि पपूसिंह 3/4<br>फैन्साकंवर पत्नि गणपतसिंह<br>1/4 जाति राजपूत सा.<br>कमठाई खातेदार                       | खीयोणी<br>सारणो<br>की ढाणी | 95/5     | 0.1214        | बा.सो            | 0    | लाल  |
|          |   |                            | 96/9     | 2.4674        | बा.सो            | 0.29 |      |
|          |   | कुल                        | 2        | 2.5888        | बा.सो            | 0.29 |      |

तहसीलदार सिणधरी को आदेशित किया जाता है, कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामांतरकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।



सहायक कलक्टर  
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 06.11.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



सहायक कलक्टर  
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

मूल वाद मे डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी

पीठासीन अधिकारी:— श्री समदर सिंह भाटी, आर.ए.एस.

उनवान

| वादीगण   | बनाम | प्रतिवादीगण  |
|--|------|--|
| 1. चेनाराम पुत्र मगाराम  |      | 1. पुजाकंवर पत्नि पपूसिंह  |
| 2. नारणाराम पुत्र मगाराम   |      | 2. फेंसाकंवर पत्नि गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी सिणधरी उर्फ बेड़ तहसील सिणधरी |
| 3. पेमाराम पुत्र मगाराम  |      | 3. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. सिणधरी  |
| 4. नोजी पत्नि मगाराम जाति जाट निवासी सिणधरी उर्फ बेड़ तहसील सिणधरी |      | 4. तहसीलदार सिणधरी   |


दावा बाबत:— 53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर :- 10/2022

निर्णय दिनांक :- 06.11.2025

वादीगण की ओर से श्री जोगराज पोटलिया अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1,2 की ओर से श्री भंवरलाल सारण अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 04 की ओर राज. पैरोकर की उपस्थिति एवं शेष की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 06.11.2025 को श्री समदर सिंह भाटी (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी सिणधरी के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:— वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 06.11.2025 में अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से घोषित की जाती है। तहसीलदार सिणधरी को आदेश दिये जाते हैं, कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज तारीख 06.11.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर, सिणधरी

**वाद के खर्चे**

| वादी                             |       | प्रतिवादी                        |       |
|----------------------------------|-------|----------------------------------|-------|
|                                  | रुपया |                                  | रुपया |
| 1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प       |       | 1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प     |       |
| 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प     |       | 2. अर्जी के लिए स्टाम्प          |       |
| 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प      |       | 3. स्पीडर की फीस                 |       |
| 4. ....रुपये पर प्लीडर की फीस    |       | 4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय |       |
| 5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय |       | 5. आदेशिका की तामील              |       |
| 6. कमिश्नर की फीस                |       | 6. कमिश्नर की फीस                |       |
| 7. आदेशिका की तामील              |       |                                  |       |
|                                  | जोड़  |                                  | जोड़  |